तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अन्नी वगै बनाम जेठी वगै अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर —187 / 2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-12-23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 ता 23 के विरूद्ध पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही आदेश हो चुके है। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुवे निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के नाम से मौजा रोही खिलेरिया तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 403 तादादी 19.1200 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खाते मे दर्ज है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 403 तादादी 19.1200 हैक्टेयर मे आने जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत मे पहुंचने के लिए गाव से दो ोत दूर अपना खेत है इससे नजदीक एवं सुविधाजनक अन्यरास्ता प्रार्थीगण के पास नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मे लगभग 30—40 सालो से खसरा नम्बर 566 / 410 की लगभग 3 बीघा व खसरा नम्बर 406 की लगभग 3 बीघा कुल 6 बीघा दूरी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने खेत मे आवागमन करता चला आ रहा है। उक्त रास्ता आगे भ्ज्ञी अन्य खेतों मे जाता है। उपरोक्त खातेदारी भूमि अप्रार्थीगणके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 566 / 410 की दक्षिण सींव के पास से खसरा नम्बर 406 के बीच मे से होता हुआ अपने खेत में आवागमन करता है जो नजदीक का व सुविधा जनक रास्ता है। जिसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 02.09.21 को उक्त चालू रास्ता बंद करने की धमकी दे रहे है। जिसके कारण प्रार्थीगण को खेत मे जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। अप्रार्थीगण प्रार्थीग्ण को अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के रास्ते में अवरोध पैदा करने पर उतारू रहता है जिसके कारण प्रार्थीगण को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पडता है इसलिएप्रार्थीगण अप्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि मे से रास्ता लेने की हकदार है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया की ग्राम रोही खिलेरिया के खेत खसरा नम्बर 566 / 410 की लगभग 3.0 बीघा व खसरा नम्बर 406 की लगभग 3 बीघा कुल 6.0 बीघा की दूरी मे पश्चिम से पूर्व की ओर प्रार्थीगण के खेत मे आसानी से आने—जाने हेतु उक्त रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवदेन किया गया। राज पैरोकार द्वारा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने बाबत सहमति दी । तहसीलदार रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 403 तादादी 19.12 हैक्टेयर कृषि भूमि तक जाने के लिए ग्राम रोही खिलेरिया के खसरा नम्बर 566 / 410 तादादी 3.29 हैक्टेयर खसरा नम्बर 406 तादादी 16.95 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के खेतों से होकर रास्ता मौके पर वर्तमान मे चालू है जो कि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नहीं है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 403 तक जोने के लिए एकमात्र यही रास्ता है उक्त रास्ता पूर्व से चला आ रहा है। अतः उक्त मार्ग प्रार्थीग्णो को दिया जाना उचित की रिपोर्ट शामिल मिसल है। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम खिलेरिया, आंशिक नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वांछित उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 403 तादादी 19.12 हैक्टेयर कृषि भूमि तक जाने के लिए ग्राम रोही खिलेरिया के खसरा नम्बर 566 / 410 तादादी 3.29 हैक्टेयर खसरा नम्बर 406 तादादी 16.95 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के खेतों से होकर रास्ता मौके पर वर्तमान मे चालू है जो कि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नहीं है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 403 तक जोने के लिए एकमात्र यही रास्ता है खसरा नम्बर 403 तक जाने के लिये न्युनतम नियमानुसार चौड़ा रास्ता हेतु प्रस्तुत बहस एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगने भुगतान होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 22/12/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (संजीव कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	